



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

23 भाद्र, 1944 (श०)

संख्या - 446 राँची, बुधवार,

14 सितम्बर, 2022 (ई०)

---

### परिवहन विभाग

-----

#### अधिसूचना

13 सितम्बर, 2022

**संख्या-02/परि.आ.(VSP)-08/2021-1317--केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा-59 की उपधारा (4) धारा-64 की खण्ड (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं.-653(अ), दिनांक-23.09.2021 के द्वारा मोटरयान (यान स्क्रेपिंग सुविधा का रजिस्ट्रेशन और कार्य) नियम, 2021 अधिसूचित किया गया है। उक्त अधिसूचना के नियम 3 (ठ) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को परिभाषित किया गया है।**

उक्त के आलोक में मोटरयान (यान स्क्रेपिंग सुविधा का रजिस्ट्रेशन और कार्य) नियम, 2021 के नियम 5, 6, 7, 9 एवं 14 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दायित्वों का निर्वहन के निमित्त रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के रूप में परिवहन आयुक्त, झारखण्ड को नामनिर्दिष्ट किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**कमल किशोर सोन,**  
सरकार के सचिव  
परिवहन विभाग।

-----